2025: CGHC: 57741

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
प्रथम अपील क्रमांक 164, वर्ष 2018

निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि: 21.08.2025

निर्णय पारित करने की तिथि: 27.11.2025

1. श्रीमती राजश्री नायडू, आत्मजा ब्रह्मराज नायडू, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी: क्वार्टर नंबर 1/ए, रोड नंबर 36, सेक्टर–8, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (प्रतिवादी क्रमांक 1), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
2. आयुष कुमार रेड्डी, आत्मज अजय कुमार रेड्डी, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी: क्वार्टर नंबर 1/ए, रोड नंबर 36, सेक्टर–8, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (प्रतिवादी क्रमांक 3), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
3. अनुष्का रेड्डी, आत्मजा अजय कुमार रेड्डी, आयु लगभग 17 वर्ष, प्राकृतिक संरक्षक माता राजश्री के माध्यम से, निवासी: क्वार्टर नंबर 1/ए, रोड नंबर 36, सेक्टर–8, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (प्रतिवादी क्रमांक 4), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

----अपीलार्थी(गण)

विरुद्ध

1. अजय कुमार रेड्डी, आत्मज परमानंद रेड्डी, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी: द्वारा– स्वर्गीय परमानंद रेड्डी, क्वार्टर नंबर डी/19, सेक्टर–1, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (वादी), जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कार्यपालन अधिकारी (एग्जीक्यूटिव ऑफिसर), भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (प्रतिवादी क्रमांक 2), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

----प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) की ओर से : श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) की ओर से : श्री बी.पी. शर्मा एवं श्री समीर उरांव, अधिवक्तागण
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से : डॉ. सौरभ कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास
सी.ए.वी. निर्णय

1. यह प्रतिवादियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील है, जिसमें विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद क्रमांक 30–ए/2014 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 15.02.2018 को चुनौती दी गई है। उक्त निर्णय के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को निर्णय की तिथि से दो महीने के भीतर क्वार्टर नंबर 1ए, रोड 36, सेक्टर–8, भिलाई का आधिपत्य खाली करने का निर्देश दिया है और प्रतिवादियों को वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से भी प्रतिबंधित किया है।

2. पक्षकारों को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सिविल वाद में वर्णित विवरण के अनुसार ही संदर्भित किया गया है।

3. वाद–पत्र में उल्लेखित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्कों के साथ सिविल वाद प्रस्तुत किया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवाह वादी के साथ हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और उक्त विवाह से प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 का जन्म हुआ। वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच विवाह, कुटुंब न्यायालय दुर्ग द्वारा 15 अप्रैल 2010 को प्रदान की गई विवाह–विच्छेद (तलाक) की आज्ञप्ति के अनुसरण में टूट गया था। वादी का यह भी पक्ष है कि वह भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत है और उसे क्वार्टर नंबर 1ए, रोड 36, सेक्टर–8, भिलाई (जिसे आगे 'वादग्रस्त गृह' कहा गया है) पट्टे (लीज़) पर आवंटित किया गया था, परंतु प्रशासनिक कारणों से पट्टे का पंजीकरण नहीं हो सका, यद्यपि वादी ने पट्टा राशि के रूप में ₹3,58,398/– का भुगतान कर दिया है। अतः वादी के अतिरिक्त किसी अन्य को उक्त गृह का उपयोग करने का अधिकार नहीं है।

(ख) यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने ससुराल का परित्याग कर दिया था और वह अपने माता–पिता के घर में रह रही थी, जब वादी ने 30.10.2006 को क्रूरता के आधार पर कुटुंब न्यायालय दुर्ग के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। कुटुंब न्यायालय के समक्ष वाद लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी की अनुपस्थिति में 14.11.2006 को दरवाजे का ताला तोड़ दिया और वादग्रस्त गृह पर अवैध आधिपत्य कर लिया। तत्पश्चात, वादी ने उसके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली,

सेक्टर–6, भिलाई नगर, जिला दुर्ग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की और अपराध को असंज्ञेय पाया, जिसके कारण वादी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में धारा 406 भा. दं. सं. के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए विवश होना पड़ा, जो वर्तमान में लंबित है। इसके बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी के विरुद्ध धारा 498–ए भा. दं. सं. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विचारण न्यायालय ने वादी को धारा 498–ए भा. दं. सं. के अपराध से दोषमुक्त कर दिया। 19.02.2009 को वादी ने प्रभारी, गृह एवं पट्टा विभाग (नगर एवं प्रशासन) भिलाई को प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया, क्योंकि वे अवैध रूप से पानी और बिजली का उपयोग कर रहे थे जो वादी के नाम पर पट्टे पर आवंटित थी, परंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(घ) यह भी तर्क दिया गया है कि वादी ने वर्ष 2022 तक आईसीआईसीआई बैंक को ₹3,500 प्रति माह की ईएमआई का नियमित भुगतान किया है, अतः वादी मई 2014 से वाद के लंबित रहने तक प्रतिवादी क्रमांक 1 से ₹3,500 प्रति माह प्राप्त करने का पात्र है। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी प्रतिदिन अपने मोटरसाइकिल से देवेंद्र नगर रायपुर से भिलाई इस्पात संयंत्र तक लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिससे ₹110 प्रतिदिन का पेट्रोल खर्च होता है, इसलिए वादी को पिछले तीन वर्षों के पेट्रोल खर्च के रूप में ₹13,824 की प्रतिपूर्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 से की जानी चाहिए। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर, वादी ने घोषणा, स्थायी व्यादेश, कब्जा, हर्जाना और पानी तथा बिजली शुल्क के भुगतान के साथ किराये की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद–पत्र में लगाए गए अभिकथन से इनकार करते हुए अपना प्रतिवाद–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं:–

(क) प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी की विवाहित पत्नी थी और तत्पश्चात कुटुंब न्यायालय, दुर्ग द्वारा विवाह–विच्छेद (तलाक) की आज्ञप्ति प्रदान की गई थी। यह कथन किया गया है कि वादी भिलाई इस्पात संयंत्र का कर्मचारी है और उसने वादग्रस्त गृह को 21.02.2002 को पट्टे (लीज़) के अंतर्गत क्रय किया था, जिसमें वह अपने दो बच्चों, आयुष रेड्डी और अनुष्का रेड्डी के साथ निवास कर रही थी। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एक निजी महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक है और वादग्रस्त गृह को पट्टे पर क्रय करने के समय उसने वादी को कुछ राशि का भुगतान किया था, अतः वह अपने बच्चों के साथ उक्त वादग्रस्त गृह में रहने की हकदार है।

(ख) इस तथ्य से इनकार किया जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वैवाहिक घर का परित्याग किया है, अपितु वास्तव में वादी ने स्वयं प्रतिवादियों को बच्चों के साथ वादग्रस्त गृह में छोड़ दिया था और तब से वह वहीं निवास कर रही है। अतः, वादी की अनुपस्थिति में ताला तोड़ने और अवैध आधिपत्य करने का आरोप झूठा और मनगढ़ंत है। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी ने प्रतिवादियों और उसके माता–पिता के विरुद्ध धारा 304 भा. दं. सं. के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों और उसके माता–पिता को दोषमुक्त कर दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध वादी ने सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की है जो लंबित है। दिनांक 25.10.2008 को कुटुंब न्यायालय, दुर्ग ने प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 के लिए ₹2,500/– का भरण–पोषण आदेश पारित किया था। भरण–पोषण के आदेश के विरुद्ध, वादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने उल्लेख किया कि जिस वादग्रस्त गृह में प्रतिवादी रह रहे थे, उसके बिजली और पानी के बिलों का भुगतान वादी द्वारा किया गया था। इसके आधार पर, कुटुंब न्यायालय ने भरण–पोषण की राशि ₹2,500 से घटाकर ₹1,700/– प्रति माह कर दी। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कभी भी वादी के घर पर अवैध आधिपत्य नहीं किया। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी ने अपनी निजी कमाई से वादग्रस्त गृह को पट्टे पर नहीं लिया था, यद्यपि वादग्रस्त गृह के क्रय के समय, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने इसके क्रय में धन का निवेश किया था, अतः वाद को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. प्रतिवादी क्रमांक 2, भिलाई इस्पात संयंत्र ने प्रतिवाद–पत्र प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया है कि वादी ने 21.02.2002 को वादग्रस्त गृह पट्टे पर लिया था, परंतु कोई मानचित्र या विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और पट्टा राशि जमा करने के तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि घर पर किसी अन्य व्यक्ति का आधिपत्य है, तो वादी/पट्टाधारी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है और प्रतिवादी क्रमांक 2 के पास इस संबंध में कार्रवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि नियमों के अनुसार ₹550 प्रति माह की बिजली और पानी की कटौती की जा रही है, क्योंकि पट्टे पर दिए गए भवन द्वारा पानी और बिजली का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए, वादी प्रतिवादी क्रमांक 2 से बिजली और पानी के बिल प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि वादी को वादग्रस्त गृह पट्टे पर आबंटित किया गया है, अतः भवन की रक्षा करना वादी का कर्तव्य है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी के भवन पर अवैध आधिपत्य कर लिया है और वादी उसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। प्रतिवादी क्रमांक 2 के पास अवैध निर्माण को

ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है और उसने प्रतिवादी क्रमांक 2 के विरुद्ध वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 4 ने प्रतिवाद–पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद–पत्र में लगाए गए अभिकथन का खंडन किया है और मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा वादग्रस्त गृह वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 को संयुक्त रूप से पट्टे पर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 वादग्रस्त गृह में अवैध रूप से निवास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे वादी के विधिक वारिस होने के नाते वहां रह रहे हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी अपने पुत्र और पुत्री को भरण–पोषण देने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। वादी ने इस विधिक दायित्व से बचने के लिए घर छोड़ दिया है। यह भी तर्क दिया गया है कि पानी और बिजली अनिवार्य सुख–सुविधाओं के दायरे में आते हैं, अतः वादी ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से तलाक के बाद वादी अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने स्वयं के घर में अलग रह रहा है और उसने वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

7. पक्षकारों के अभिवाचनों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने कुल ग्यारह वाद–प्रश्न विरचित किए हैं, जिनमें से वाद–प्रश्न क्रमांक 1, 3 और 8 प्रासंगिक हैं, अतः उन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:–

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	" क्या वादी के स्वामित्व के मकान पर प्रतिवादीगण क्र. 1, 3 व 4 द्वारा अवैध रूप से आधिपत्य कर निवासरत हैं? "	
3	" क्या वादी, प्रतिवादी क्र. 1 के आधिपत्य से वादग्रस्त मकान में किए गए अतिरिक्त अवैध निर्माण को तोड़कर उसका रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है? "	
6	" क्या वादी वादग्रस्त मकान के बिजली खर्च 13,200/- रुपये प्रतिवादी क्र. 1 से प्राप्त करने का अधिकारी है? "	
8	" क्या वादी, वादी के स्वत्व के मकान पर प्रतिवादी क्र. 1 के द्वारा बिना किसी विधिक औचित्य के अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से रोकने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? "	

8. वादी ने अपने दावे की पुष्टि हेतु स्वयं का परीक्षण (वा.सा.–1), अमित मिश्रा (वा.सा.–2), लक्ष्मण बावन (वा.सा.–3), विनोद शर्मा (वा.सा.–4), नूतन साहू (वा.सा.–5), गणेशराम

निर्मलकर (वा.सा.–6), राजेंद्र कुमार (वा.सा.–7), डॉ. हरेंद्र शाह (वा.सा.–8) के रूप में कराया है तथा प्रदर्श (प्रदर्श पी –1) से (प्रदर्श पी –71) तक के दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं।

9. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वयं का परीक्षण (प्र.सा.–1), आयुष रेड्डी (प्र.सा.–2) के रूप में कराया है तथा प्रदर्श (प्रदर्श डी–1) एवं (प्रदर्श डी–2) प्रदर्शित किए हैं।

10.विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा वाद डिक्रीत करते हुए प्रतिवादियों को निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर वादग्रस्त गृह क्वार्टर नंबर 1ए, रोड 36, सेक्टर–8, भिलाई का आधिपत्य रिक्त करने का निर्देश दिया और प्रतिवादियों को वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से भी प्रतिबंधित किया। विचारण न्यायालय द्वारा 15.02.2018 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति से व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

11.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधि विरुद्ध हैं, क्योंकि वाद के मूल्यांकन और परिसीमा के संबंध में वाद की पोषणीयता पर आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे केवल प्रारंभिक वाद–प्रश्न के रूप में तय किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने वाद की कार्यवाही गुण–दोष के आधार पर आगे बढ़ाकर अवैधता कारित की है, क्योंकि न्यायालय शुल्क और परिसीमा से संबंधित आपत्तियां मामले के मूल आधार से जुड़ी होती हैं और इन्हें केवल प्रारंभिक वाद–प्रश्न के रूप में ही तय किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय यह विचार करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 के तलाक के बाद भी आधिपत्य के दावे से संबंधित मामले में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन पोषणीय है, जिसका अर्थ यह है कि विधि अपीलार्थियों को आधिपत्य में बने रहने का विधिक अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि नीचे स्थित विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के सगे पुत्र और पुत्री हैं और उन्हें अपने पिता की संपत्ति में बने रहने का अधिकार है; कोई भी विधि एक जीवित पिता को अपनी पत्नी और बच्चों को बिना किसी छत के सड़क पर छोड़ने का ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता है।

12.अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की संपत्ति पर अपीलार्थियों के अधिकार, विशेष रूप से अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 के अधिकारों पर विचार करने में पूर्णतः विफल रहा है, जो सगे पुत्र और पुत्री हैं और उन्हें अपने पिता के आवासीय

गृह में निवास करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है, चाहे पिता स्वत्वाधिकारी/पट्टाधारी हो या संपत्ति स्व–अर्जित हो अथवा पैतृक हो। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय अपीलार्थियों द्वारा उस आवासीय गृह के संबंध में आवश्यक राशि के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार करने में पूर्णतः विफल रहा है, जिसका पट्टा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को दिया गया है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के विधिक पहलुओं पर विचार करने में पूर्णतः विफल रहा है। अपीलार्थियों के अनुसार, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था, जबकि यह ऐसा मामला नहीं है कि अपीलार्थी अजनबी/तृतीय पक्षकार हैं जिन्होंने उस आवासीय गृह पर आधिपत्य किया है या उसमें निवास कर रहे हैं जिसके लिए प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के नाम पर पट्टा दिया गया है, अतः विचारण न्यायालय को केवल इसी आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त कर देना चाहिए था।

13.दूसरी ओर, वादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच संपन्न विवाह विघटित हो चुका है और उनके बीच कोई वैवाहिक बंधन शेष नहीं है; ऐसी स्थिति में जब कोई वैवाहिक बंधन नहीं है, तो अपीलार्थी क्रमांक 1, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के स्वामित्व वाले घर पर आधिपत्य बनाए नहीं रख सकती है, क्योंकि अनन्य अधिकार, स्वत्व और हित केवल वादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को ही प्रदान किए गए हैं। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अपीलार्थी अपने लिए भारी लाभ अर्जित करना चाहती थी, जैसा कि आवेदन के पैरा–8 में शामिल शर्तों के अवलोकन से स्पष्ट होगा और यदि मांगी गई राशि का कुल मूल्यांकन किया जाए, तो वह लगभग ₹60,00,000/– होगी। हालांकि, यदि पट्टाधृति के उद्देश्य से बाजार मूल्य का उचित आकलन किया जाए, तो राशि मांगी गई राशि से बहुत कम होगी। अपने तर्कों की पुष्टि हेतु, उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय *टी.के. बालसुब्रमण्यम बनाम राजेश्वरी,* रिपोर्टेड इन 2022 लॉसुइट (मद्रास) 303 और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय *रंजीत कौर बनाम मेजर हरमोहिंदर सिंह एवं अन्य,* रिपोर्टेड 2011 (15) एस सी सी 95 का संदर्भ दिया।

14. मैने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का पूर्ण संतुष्टि के साथ परिशीलन किया है।

15. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा अवधारण हेतु उद्भूत प्रश्न निम्नानुसार है:–

(।) क्या विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधिक एवं न्यायोचित हैं तथा क्या वे किसी ऐसी विकृति या अवैधता से ग्रसित नहीं हैं, जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो, अथवा नहीं।

चर्चा एवं निष्कर्ष

16. इस न्यायालय के समक्ष अवधारण हेतु उद्भूत प्रश्न के न्यायनिर्णयन के लिए, इस न्यायालय ने वादी और प्रतिवादियों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का संक्षिप्त आकलन किया है। वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में वाद–पत्र में किए गए अभिकथनों को दोहराया है तथा प्रदर्श P–1 से P–69 तक के दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। साक्षी का प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वादग्रस्त गृह उसे पट्टे पर दिया गया था और उसे ₹48,000 से ₹50,000/– वेतन मिल रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि संपत्ति के उपभोग के अधिकार का पट्टा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अंतरित नहीं किया गया है तथा यह भी स्वीकार किया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार, पट्टे के अंतरण हेतु पंजीकरण अनिवार्य है। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 उसके पुत्र और पुत्री हैं। उसने स्वीकार किया कि मूल वाद में उसने प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 के विरुद्ध बेदखली का दावा नहीं किया था और उक्त दावा 24.06.2016 को संशोधन के माध्यम से किया गया है। उसने यह भी कहा कि प्रतिवादी क्रमांक 3 दिल्ली में रहता है और प्रतिवादी क्रमांक 4 विशाखापत्तनम में रहती है और जब भी वे छुट्टियों में दुर्ग आते हैं, तो वे वादग्रस्त गृह में निवास करते हैं।

17. प्रतिपरीक्षण में उससे एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि जब प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 वादग्रस्त गृह में निवास नहीं कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध बेदखली का वाद क्यों प्रस्तुत किया गया है। उसने उत्तर दिया कि बच्चों की आड़ में प्रतिवादी क्रमांक 1 घर पर आधिपत्य न कर ले। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके चार बच्चे हैं जिनके नाम क्रमशः आयुष, अनुष्का, आद्या और आशुतोष हैं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–121 में कहा है कि वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादियों का कोई अधिकार नहीं है।

18. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने शपथ–पत्र के माध्यम से अपनी मुख्य परीक्षा में प्रतिवाद–पत्र में लिए गए अपने पक्ष को दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती, लेकिन वह वादग्रस्त गृह में अपने बच्चों के साथ रहने का दावा कर रही है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आगे कहा कि बच्चे वादी के विधिक वारिस हैं।

19. प्रतिवादी क्रमांक 4 आयुष रेड्डी का विचारण न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र के माध्यम से परीक्षण किया गया, जिसमें उसने प्रतिवाद–पत्र में लिए गए अपने पक्ष को दोहराया और प्रतिपरीक्षण में उसने इस बात से इनकार किया कि उसकी माँ ने वादग्रस्त गृह खरीदने के लिए उसके पिता को कोई राशि नहीं दी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि यद्यपि वह वयस्क हो गया है, फिर भी उसका वादग्रस्त संपत्ति पर अधिकार है।

20. अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों से यह निर्विवाद है कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच विवाह–विच्छेद हो चुका है और यह भी निर्विवाद है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 वादी के विधिक वारिस हैं, जिनका जन्म वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के विवाह संबंध से हुआ था। वादी ने अपने मामले की पुष्टि के लिए कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच विवाह–विच्छेद हो चुका है, विद्वान द्वितीय अपर मुख्य कुटुंब न्यायालय, दुर्ग द्वारा सिविल वाद क्रमांक 31–ए/2008 में पारित निर्णय और आज्ञप्ति की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान कुटुंब न्यायालय ने पति अजय रेड्डी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के तहत प्रस्तुत विवाह–विच्छेद के वाद को डिक्रीत किया है। वादी ने कुटुंब न्यायालय, दुर्ग द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति के विरुद्ध पत्नी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील क्रमांक 55 वर्ष 2010 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति की प्रति भी प्रदर्शित की है। इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने दिनांक 26.08.2010 के अपने निर्णय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया है।

21. माननीय खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति के साथ–साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति के परिशीलन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि न्यायालयों द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति में निवास करने हेतु कोई आज्ञप्ति पारित नहीं की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने भी घरेलू हिंसा अधिनियम या किसी अन्य विधि के तहत प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त संपत्ति में रहने हेतु कोई संरक्षण प्रदान करने वाला न्यायालय का कोई निर्णय या आज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है। किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित ऐसे किसी निर्णय और आज्ञप्ति के अभाव में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष कि—चूंकि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच पहले ही विवाह–विच्छेद हो चुका है, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1/पत्नी को वादग्रस्त गृह में रहने का कोई अधिकार नहीं है—विधिक एवं न्यायोचित है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रंजीत कौर (पूर्वोक्त) के मामले में पारित निर्णय के अनुरूप है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 9 और 10 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:–

> 9. यह निर्विवाद है कि अपर जिला न्यायाधीश, रोपड़ द्वारा पारित विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति अंतिम हो चुकी है। यह भी निर्विवाद है कि भरण–पोषण की मंजूरी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका संबंधित न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी और विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति में, अपीलार्थी के भरण–पोषण के लिए वादग्रस्त संपत्ति में निवास के अधिकार सहित कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई दोष निकालना संभव नहीं है, जिसके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के हस्तांतरण के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए व्यादेश को निरस्त कर दिया गया था और इस न्यायालय के लिए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, जहाँ तक कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के इस हिस्से की पुष्टि करता है।
>
> 9. 10. हालाँकि, हमें अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों में सार नजर आता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने पक्षकार की बेदखली के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश को निरस्त करना न्यायोचित नहीं था। विद्वान अधिवक्ता अपने इस तर्क में सही हैं कि भले ही विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति में अपीलार्थी को निवास का अधिकार नहीं दिया गया है और वादग्रस्त संपत्ति पर उसके आधिपत्य को अनधिकृत माना जा सकता है, फिर भी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे बेदखल नहीं कर सकता है। अभिलेख पर मौजूद तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की पत्नी के रूप में संपत्ति में प्रवेश किया था। इसलिए, भले ही विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति पारित होने के बाद उसके पास वादग्रस्त संपत्ति के आधिपत्य में बने रहने का विधिक अधिकार न हो, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को उसे बलपूर्वक बेदखल करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती।

22. महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) "घरेलू संबंध" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:–

धारा 2(च) "घरेलू संबंध" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच संबंध अभिप्रेत है जो एक साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी भी समय रह चुके हैं, जब वे समरक्तता, विवाह, या विवाह की प्रकृति के किसी संबंध, दत्तक ग्रहण के माध्यम से संबंधित हों या एक संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हों;

23. अधिनियम की धारा 2(च) के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि "दो व्यक्तियों के बीच घरेलू संबंध जो एक साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं, या किसी भी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरक्तता, विवाह, या विवाह की प्रकृति के संबंध द्वारा संबंधित हों। एक बार विवाह वैध विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति द्वारा विघटित हो जाने के बाद, घरेलू संबंध समाप्त हो जाता है। परिणामस्वरूप, वह मूलाधार जिस पर निवास का अधिकार आधारित है, अब जीवित नहीं रहता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई वैधानिक अधिकार बना रहना न दिखाया जाए। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में बने रहने के लिए कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा वादी को पट्टे पर दिया गया है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के संबंध में निष्कासन और वादी को आधिपत्य सौंपने का निर्देश देने वाला निष्कर्ष न तो किसी विकृति से और न ही किसी अवैधता से ग्रस्त है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित बिंदु का उत्तर आंशिक रूप से वादी के पक्ष में और आंशिक रूप से प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 के पक्ष में दिया जाता है।

24. जहाँ तक प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4, जो वादी के पुत्र और पुत्री हैं, के विरुद्ध निष्कासन की आज्ञप्ति पारित करने का प्रश्न है, जिसे वादी ने स्वयं स्वीकार किया है, यह आज्ञप्ति विकृति और अवैधता से ग्रस्त है क्योंकि वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में परिभाषित श्रेणी–1 के विधिक वारिस हैं, और वे वादी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस हैं, अतः वे वादग्रस्त घर में हिस्सा पाने के हकदार हैं और विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत उस साक्ष्य पर विचार नहीं किया है जिसमें उसने कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 का वादग्रस्त घर पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 4 के साक्ष्य पर भी विचार नहीं किया है, जिसने स्पष्ट शब्दों में गवाही दी है कि वादी के विधिक वारिस होने के नाते वे वादग्रस्त घर में हिस्सा पाने के हकदार हैं। विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि बच्चों के अपने पिता की संपत्ति में अधिकार विवाह–विच्छेद पर तब तक प्रभावित नहीं होते जब तक कि अधिकार के विपरीत कोई आकस्मिकता अभिलेख पर उपलब्ध न हो, जो कि वर्तमान मामले में नहीं है। इस प्रकार, प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4 के निष्कासन के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा

दर्ज किया गया निष्कर्ष विकृत है और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के विपरीत है। तदनुसार, प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध पारित निष्कासन के निर्णय और आज्ञप्ति की पुष्टि करते हुए और प्रतिवादी क्रमांक 3 और 4, जो वादी के पुत्र और पुत्री हैं, के विरुद्ध इसे उलटते हुए प्रथम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

25. दिनांक 04.07.2019 को पारित अंतरिम आदेश प्रतिवादी क्रमांक 1 की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा जहाँ तक प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं 4 का संबंध है, इसे अंतिम माना जायेगा।

26. तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाए।

सही /–

(नरेन्द्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।